

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना दीदारगंज

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दिनांक 22.06.2022 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 160/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र केशव प्रशाद यादव ग्राम हर्दिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त उपरोक्त वांछित चल रहा था

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 24.06.2022 को उ0नि0 जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र केशव प्रशाद यादव ग्राम हर्दिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर के पास से समय करीब 05.00 बजे प्रातः हिरासत पुलिस /गिरफ्तार किया गया। अन्य कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 160/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुनील यादव पुत्र केशव प्रशाद यादव ग्राम हर्दिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	105/2022	307 भा0द0वि0 व 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0अधि0 व 03/25 आर्म्स एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़	दीदारगंज आजमगढ़
2	160/2022	3(1) गैंगेस्टर एक्ट	दीदारगंज आजमगढ़

घटनास्थल- गिरफ्तारी किया गया ग्राम हर्दिया से

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।
2. उअरविन्द कुमार यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 0नि0
3. उ,दशरथ उपाध्याय 0नि0 का प्रमोद यादव 0का सत्येन्द्र प्रजापति 0कामोनू कुमार यादव 0 थाना दीदारगंज आजमगढ़।

थाना- कप्तानगंज

ग्राम धन्धारी में प्राॅपर्टी व खर्चे को लेकर हुयी घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त मनोज का पुत्र यशवन्त भी गिरफ्तार।

1.पूर्व की घटना /इतिहास का विवरण- दिनांक 21.06.2022 को वादिनी मुकदमा श्रीमती कामिनी सिंह पत्नी स्व0 मनीष सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि मनोज सिंह पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने पिता श्री नारायण सिंह में प्राॅपर्टी व खर्चे को लेकर कहासुनी हो गयी इस बीच वादिनी के पति मनीष सिंह व ससुर श्री नारायण सिंह की गोली मार कर हत्या कर दिया गया है व चाची अवधराजी देवी को गोली मार कर घायल कर देना व गाली गुप्ता दिया गया, के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/302/307/504 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कराया गया है। दिनांक- 23.06.2022 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अभियुक्त मनोज सिंह का पुत्र यशवन्त सिंह मुकदमा उपरोक्त का वांछित अपराधी है।

2. गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक-24.06.2022 को थानाध्यक्ष संजय कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त यशवन्त सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ छाता पूरा हाइवे के नीचे से समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 189/22 धारा 147/148/302/307/504/34 IPC व 30 A Act थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. यशवन्त सिंह पुत्र मनोज सिंह निवासी धन्धारी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. SO संजय कुमार का0 विनय पाल का0 प्रमोद कुमार का0 अजय कुमार थाना कप्तानगंज आजमगढ़

प्रेस- विज्ञप्ति

एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को कारावास व जुर्माना

आज दिनांक- 24.06.2022 को माननीय न्यायालय एसजे-8 आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना रौनापार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 491/07 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्नू पुत्र अचेछ लाल यादव निवासी अड़ारी, थाना दोहरी घाट, जनपद मऊ उपरोक्त मुकदमें में दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 15 दिवस अतिरिक्त कारावास का दण्ड व्यतीत करना होगा।

थाना पवई

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 20.6.2022 को वादिनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ सूचना दी गयी कि वादिनी की लड़की उम्र 16 वर्ष को दिनांक 20.6.22 समय करीब 11.00 बजे रात को अंसार पुत्र असगर नट निवासी नकटूआ नन्देसर थाना पवई आजमगढ़ द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 181/22 धारा 363/366 भादवि बनाम अंसार पुत्र असगर नट निवासी नकटूआ नन्देसर थाना पवई आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:- उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा दिनांक 24.6.2022 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अंसार पुत्र असगर नट निवासी नकटूआ नन्देसर थाना पवई आजमगढ़ को समय करीब 6.30 बजे मिल्कीपुर पूर्वान्वल एक्सर-प्रेसवे कि निचे से गिरफ्तार किया गया दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी । जिनका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 181/2022 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:—

अंसार पुत्र असगर नट निवासी नकटूआ नन्देसर थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार का0 मुकेश सिंह का0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह थाना पवई आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कोतवाली

69 लोकसभा उप-मतदान के दौरान सोशल मीडिया पर बूथ के अन्दर EVM व VV पैट मशीन की फोटो वायरल करने वाला गिरफ्तार

दिनांक 23.06.22 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक फेसबुक आईडी संचालक द्वारा मतदान के दौरान बूथ के अंदर ईवीएम वीवी पैट मशीन की फोटो लेकर फेसबुक पर वायरल किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन पर सोशल मीडिया सेल व साइबर सेल द्वारा उपरोक्त फेसबुक आईडी को ट्रेस कर थाना प्रभारी कोतवाली को सूचना उपलब्ध कराई गई।

थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा फेसबुक आईडी संचालक मनोज यादव पुत्र स्वर्गीय गिरजा यादव निवासी कोलपांडे थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु.अ.सं.284/22 धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 66D सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं.284/22 धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 66D सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

अभियुक्त का नाम

मनोज यादव पुत्र स्वर्गीय गिरजा यादव निवासी कोलपांडे थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़.

पुलिस टीम

श्रीप्रकाश शुक्ला चौकी प्रभारी रोडवेज मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़.